भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-92
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

असम में बंद किए गए स्कूल

†92. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में वित्त वर्ष 2016 और 2025 के बीच जिला और वर्षवार कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान असम में बंद किए जाने के समय उक्त विद्यालयों में जिला और वर्षवार कितने छात्र नामांकित थे;

(ग) माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का ब्यौरा क्या है और अन्य राज्यों की तुलना में असम की स्थिति क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान असम में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जिला और वर्ष-वार कितने विद्यालय बंद किए गए?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा विभाग, असम ने सूचित किया है कि असम राज्य में आज तक कोई भी सरकारी/प्रांतीयकृत प्राथमिक, मध्य, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद नहीं किया गया है। तथापि, प्राथमिक स्तर पर स्कूलों को शिक्षा क्षेत्र योजना के तहत विलय/आमेलित किया गया है जहाँ गैर-टिकाऊ नामांकन है या एक ही परिसर में स्थित स्कूल हैं या आरटीई 2009 के अनुसार मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एकल प्रशासनिक और शैक्षणिक इकाई में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए है। शिक्षकों के इष्टतम उपयोग और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के प्रयास के रूप में स्कूलों को दूरी के मानदंडों के भीतर युक्तिसंगत बनाया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2017 से 2025 तक, कुल 7427 प्राथमिक विद्यालयों (स्रोत: यूडीआईएसई के आंकड़े, एसएसए, असम से प्राप्त) को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, असम के तहत बेस स्कूलों के रूप में अन्य प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, असम के तहत माध्यमिक विद्यालयों के साथ आमेलित या विलय किया गया है।

तथापि, विलय/आमेलित विद्यालयों के छात्र मूल विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। विलय/आमेलित होने के बाद कोई भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहा है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विलय/आमेलित होने के बाद किसी भी छात्र को अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि सभी विद्यालय शिक्षा के अधिकार (आरटीई) मानदंडों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

विलय/आमेलित विद्यालयों के शिक्षक मूल विद्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और मूल विद्यालय से नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यदि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के मानदंडों के अनुसार कोई अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध है, तो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर जिलों में शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाता है।

माध्यमिक स्तर पर, अल्प नामांकन दर को कम करने, शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने, शिक्षकों की कमी को दूर करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, सरकारी योजना "शिक्षा क्षेत्र" के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-25 के दौरान 289 माध्यमिक विद्यालयों को निकटतम विद्यालयों के साथ समामेलित/विलयित किया गया है। अन्य आधार विद्यालयों के साथ समामेलित/विलयित विद्यालयों के छात्र और शिक्षक नए आधार विद्यालयों के अंतर्गत आ गए हैं और उन्हें समान शैक्षणिक कैलेंडर और समान प्रशासन के अंतर्गत लाया गया है।

मध्य और प्राथमिक विद्यालय छोड़ने के ब्यौरे और अन्य राज्यों की तुलना में असम की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

******

अनुलग्नक

असम में बंद किए गए स्कूल के संबंध में माननीय संसद सदस्य मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा पूछे गए दिनांक 21.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का ब्यौरा तथा अन्य राज्यों की तुलना में असम की स्थिति:

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	विद्यालय छोड़ने की औसत वार्षिक दर – 2023-24	
	प्राथमिक स्तर (I-V)	उच्च प्राथमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.8	0.4
आंध्र प्रदेश	0.2	1.1
अरुणाचल प्रदेश	5.4	6.8
असम	6.2	8.2
बिहार	8.9	25.9
चंडीगढ़	0.0	0.4
छत्तीसगढ	1.8	5.3
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.6	3.1
दिल्ली	0.0	0.6
गोवा	0.8	1.1
गुजरात	0.1	4.2
हरियाणा	1.2	4.7
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.6
जम्मू और कश्मीर	1.6	3.2
झारखंड	0.9	9.0
कर्नाटक	1.7	2.7
केरल	0.0	0.0
लद्दाख	4.3	5.8
लक्षद्वीप	2.3	3.1
मध्य प्रदेश	1.0	6.7
महाराष्ट्र	0.0	0.6
मणिपुर	4.5	3.5
मेघालय	7.5	12.4
मिजोरम	3.5	5.9
नगालैंड	4.5	5.8
ओडिशा	0.0	2.0
पुदुचेरी	1.2	1.4
पंजाब	0.1	2.6
राजस्थान	7.6	6.8
सिक्किम	2.6	4.9
तमिलनाडु	0.0	0.0
तेलंगाना	0.0	0.0
त्रिपुरा	0.5	4.1
उत्तर प्रदेश	2.2	4.0
उत्तराखंड	0.0	1.5
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0
भारत	**1.9**	**5.2**

स्रोत: यूडाइज़+ 2023-24